राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन स. 284 / 2022 — जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 324

1. चिड़िया
2. इन्द्रा
3. सरबति
4. बदामा

} पुत्रीयान मोहरू जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

...............आवेदिकागण

— ब ना म —

1. उदमीराम पुत्र माडू उर्फ मेदाराम
2. धर्मकला पत्नि नौरंग
3. राजेश कुमार पुत्र नौरंग
4. श्रीचन्द पुत्र माडू उर्फ मेदाराम
5. सुरेश पुत्र नौरंग
6. कमला पत्नि कन्हीराम
7. सन्तोष पुत्री कन्हीराम
8. सुनिल पुत्र कन्हीराम
9. सुरेन्द्र पुत्र कन्हीराम
10. धर्मपाल पुत्र धन्नाराम
11. होशियारसिंह पुत्र धन्नाराम
12. जयप्रकाश पुत्र हरिसिंह
13. मुकेश पुत्र हरिसिंह
14. मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह
15. कमलसिंह पुत्र चन्दगीराम

} समस्त जाति जाट निवासी मैनाना तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

16. तेजपालसिंह पुत्र चन्दगीराम
17. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू
18. उप–पंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र — अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति —

1. श्री राजेश यादव अधिव[illegible]
2. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता– अनावेदक [illegible] 3 व 5 की ओर से
3. शेष के विरूद पकपक्षीय [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 1.12.22

आवेदिकागण की ओर से आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्त तथ्यो के अधार पर इस प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि आवेदिकागण ने वाद पत्र विधिवत रूप से न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें आवेदिकागण को सफलता मिलने की पुरी – पुरी सम्भावना है।
2. यह कि वाके ग्राम मैनाना तहसील बुहाना स्थित भूमी गत ख.न. 40 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा गत ख.न. 250 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा किता 2 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार आवेदिकागण का पिता मोहरू व उसका भाई धन्ना पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी मैनाना थे। जिसमें मोहरू का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार आवेदिकागण मृतक मोहरू की जायन्दा पुत्रीया है मोहरू की मृत्यु सवंत 2034 अर्थात सन् 1977–78 के लगभग हुई थी मोहरू की पुत्री लाडो की बाद में नाऔलाद मृत्यु हो गई थी इसलिये मोहरू का 1/2 हिस्सा में आवेदिकागण एवं मोहरू के पुत्र चन्दगीराम एवं हरिसिंह का बराबर–बराबर अर्थात 1/7–1/7 हिस्सा था एवं कुल भूमि में 1/14 – 1/14 हिस्सा था मोहरू की पुत्री लाडो की मृत्यु के बाद अर्थात आवेदिका सं. 1 लगायत 4 का 4/12 हिस्सा एवं अनावेदक सं. 15 व 16 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी का 1/12 हिस्सा एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 14 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह का 1/12 हिस्सा था तथा अनावेदक सं. 10 व 11 का 1/2 हिस्सा था जो आवेदिकागण को जन्म से ही प्राप्त है।
3. यह कि सन् 1979–80 के लगभग बन्दोबस्त हुआ उस समय आवेदिकागण के पिता मोहरू की मृत्यु हो चुकी थी तो अनावेदक सं. 12 लगायत 16 एवं इनके हकपूर्वधिकारी चन्दगी एवं हरिसिंह ने बन्दोबस्त अधिकारीयों से नाजायज सांठ गांठ कर मोहरू की मृत्यु के बाद इस भूमि में मोहरू के 1/2 हिस्सा के स्थान पर अनावेदक सं. 12 लगायत 16 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगीराम एवं हरिसिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया एवं आवेदिकागण का नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज नही हुआ जबकि आवेदिकागण का इस भूमि में जन्म से ही हित निहित था एवं आज भी है तथा बन्दोबस्त विभाग ने भूमि गत ख.न. 40 के नये ख.न. 69 रकबा 3.23 है. एवं ख.न. 70 रकबा 2.85 है. अर्थात किता 2 रकबा 6.08 है. कायम किये तथा गत ख.न. 250 के हाल ख.न. 431 रकबा 1.43 है. कायम किये है इस भूमि के हाल ख.न. 69 ख.न. 70 ख.न. 431 किता 3 रकबा 7.51 है. में अनावेदक सं. 12 लगायत 14 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह का 1/4 हिस्सा एवं अनावेदक सं. 15 व 16 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि मोहरू के 1/2 हिस्सा में चन्दगीराम एवं हरिसिंह के साथ – साथ आवेदिकागण का भी बराबर – बराबर हिस्सा था एवं आज भी है।
4. यह कि बन्दोबस्त विभाग की गलती [illegible] उक्त त्रुटि को दोहराया जाता रहा उसके बाद अनावेदक [illegible] हकपूर्वाधिकारी एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 16 ने आवेदिकागण को उनके [illegible] हिस्सा से वंचित करने की नियत से अनावेदक सं. 1 लगायत [illegible] अनावेदक सं. 1 व 4 तथ प्रति.सं. 2 व 3 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

5 के हकपूर्वाधिकारी नौरंग के साथ मिलकर आवेदिकागण की जानकारी के बिना आवेदिकागण की भूमि का अनावेदक सं. 19 के साथ साजिस कर विनियमय कर लिया एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 16 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगीराम व हरिसिंह के नाम दर्ज भूमि ख.न. 69 एवं 70 के 6.08 है रकबा में से उनके नाम दर्ज 1/2 अर्थात 3.04 है. रकबा का विनियम अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के साथ कर इसके 3.04 है. रकबा में अनावेदक सं. 1 लगायत 5 का नाम दर्ज करवा दिया एवं अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज भूमि ग्राम मैनाना स्थित ख.न. 229 रकबा 1.84 है. ख.न. 279 रकबा 0.84 है. किता 2 रकबा 2.68 है. की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली अर्थात 3.04 है. रकबा जो आवेदिकागण का भी था वह अनावेदक सं. 1 लगायत 5 को आवेदिकागण की जानकारी के बिना ही अनावेदक सं. 1लगायत 5 के नाम दर्ज 2.68 है. रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि विनिमय के लिये आवश्यक था की पक्षकार वही होने चाहिए भूमि की किस्म वही होनी चाहिए रकबा भी समान होना चाहिए लेकिन तहसीलदार /अनावेदक सं. 19 ने नियम कानून का उल्लघंन करते हुये विधि विरूद्व शुन्य एवं निष्प्रभावी विनिमय पत्र तस्दीक कर दिया जो आवेदिकागण के हक अधिकारों पर शुन्य एवं निष्प्रभावी है तथा आवेदिकागण की भूमि को आवेदिकागण के बिना किसी भी अन्य व्यक्ति या सह खातेदार अथवा सह हिस्सेदार को विनिमय करने स्थानान्तरित रहने बेचान या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित करने का हक व अधिकार नही है इसलिए आवेदिकागण की भूमि ख.न. 69 एव 70 का अनावेदक सं. 1 लगायत 5 व इनके हकपूर्वाधिकारी के हक में किया गया विनिमय दिनांक 04.08.2004 एवं उसके आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण सं. 117 आवेदिकागण के हक अधिकारों पर शुन्य एवं निष्प्रभावी है तथा आवेदिकागण भूमि ख.न. 69 एवं 70 एवं 431 किता 3 रकबा 7.51 है. में 1/12 –1/12 हिस्सा की खातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

5. यह कि अनावेदक सं. 1 लगायत 5 व धन्नाराम के वारीसान अनावेदक सं. 6 लगायत 11 भूमि ख.न. 69 एवं 70 किता 2 रकबा 6.08 है. के 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज हो गये तो अनावेदक सं. 1 लगायत 5 ने अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्सा का परस्पर खाता विभाजन करवा लिया उसमें भी आवेदिकागण को पक्षकार नही बनाया एवं ख.न. 69/1 रकबा 0.19 है. एवं ख.न. 79 रकबा 2.85 है. किता 2 रकबा 3.04 है. की खातेदारी अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गई जो वर्तमान में ख.न. 69 रकबा 0.19 है. एवं ख.न. 70 रकबा 2.85 है. किता 2 रकबा 3.04 है. के रूप में अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है अनावेदक सं. 1 लगायत 5 ने इस भूमि को गलत रूप से अपनी बताकर अनावेदक सं. 17 के यहां रहन रख दी है। जबकि यह भूमि ना तो अनावेदक सं. 1 लगायत 5 की है ना ही अनावेदक सं. 17 को इस भूमि पर अनावेदक सं. 1लगायत 5 को ऋण देने का हक था ना ही इस भूमि से ऋण वसूली का अधिकार है इस प्रकार भूमि वर्तमान ख.न. 69 व 70 किता 2 रकबा 3.04 है. में वादीया सं. 1 का 1/6 वादीया सं. 2 का 1/6 वादीया सं. 3 [illegible] 1/6 हिस्सा है क्योकि इसके 1/2 हिस्सा अर्थात 3.04 है. रक[illegible]ा के वारीसान का था उन्होने अपने सम्पूर्ण रकबा 3.04 [illegible] 69/2 [illegible] 3.04 है. के रूप में प्राप्त कर चुके है जिसके वर्तमान में [illegible] भूमि ख.न. 69 व 70 में आवेदिकागण का प्र[illegible]6 हिस्सा अनावेदक सं. 12 लगायत 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

का 1/6 एवं अनावेदक सं. 15 व 16 का 1/6 हिस्सा है तथा भूमि ख.न. 229 रकबा 1.84 है. एवं 279 रकबा 0.84 है. की खातेदारी अनावेदक सं. 1 लगायत 5 अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है चूंकि वह भूमि आवेदिकागण के नाम दर्ज नही है इसलिये अनावेदक सं. 1 लगायत 5 एवं 12 लगायत 16 अलग से दावा करने को स्वतन्त्र है।

6. यह कि आवेदिकागण की भूमि ख.न. 69 रकबा 0.19 है. ख.न. 70 रकबा 2.85 है. किता 2 रकबा 3.04 है. आवेदिकागण की पैतृक भूमि है जो आवेदिकागण के पिता मोहरूराम की थी आवेदिकागण उक्त मोहरूराम की जायन्दा पुत्रीयां है मोहरूराम के 5 पुत्रियों एवं दो पुत्र होने से आवेदिकागण को मोहरूराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा है तथा 1/7 हिस्सा अनावेदक स. 12 लगायत 14 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह एवं 1/7 हिस्सा अनावेदक सं. 15 व 16 के हकपूर्वाधिकारी चन्दगी का है मोहरू की पुत्री लाडो नाऔलाद फौत होने से अब आवेदिकागण का 4/6 हिस्सा एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 14 का 1/6 व अनावेदक सं. 15 व 16 का 1/6 हिस्सा है। इस प्रकार आवेदिकागण की भूमि ख.न. 69 व 70 का गलत रूप से अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के हक में विनिमय किया एवं बाद में उन्होने गलत रूप से अपने नाम करवा कर इस पर ऋण लिया है जो आवेदिकागण के हक अधिकारों पर प्रभावहीन शुन्य एवं निष्प्रभावी है एवं शुन्य घोषित कर इस भूमि की खातेदार आवेदिकागण घोषित करवाने की अधिकारी है।

7. यह कि आवेदिकागण भूमि ख.न. 69 व 70 तथा 431 में 1/6 – 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारी है। अनावेदक सं. 1 लगायत 5 एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 16 को आवेदिकागण के 1/6 – 1/6 हिस्सा के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने इस भूमि को रहन बेचान गिरवी दान उपहार या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित करने आवेदिकागण के कब्जा कास्त उपयोग में बाधा कारित करने का अनावेदक स. 1 लगायत 5 एवं 12 लगायत 16 को कोई हक नही है तथा इस भूमि की खातेदारी गलत एवं प्रभावहीन व शुन्य दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक सं. 1 लगायत 5 एवं 12 लगायत 16 के नाम दर्ज रहने से आवेदिकागण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा इसलिये आवेदिकागण के लिये दावा के साथ यह आवेदन पत्र अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व सुरक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि आवेदिकागण का यह प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति भी आवेदिकागण को है।

9. यह कि आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये भी 2 रूपया कोर्ट नियत है इसलिए आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

10. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन पत्र आवेदिका का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि अनावेदक सं. 1लगायत 5 एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 16 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम मैनाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 69 ख.न. 70 किता 2 रकबा 3.04 है. में आवेदिकागण के 4/6 हिस्सा के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे इस भूमि को दान रहन बेचान गिरवी समर्पण या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित नही करे इसमें कच्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

या पक्का निर्माण नही करे हरे पेड़ो का नही कांटे ऐसा कार्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे आवेदिकागण के हक अधिकार प्रभावित होते हो तथा अनावेदक सं. 18 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह अनावेदक सं. 1 लगायत 5 व 12 लगायत 16 द्वारा प्रस्तुत दान रहन बेचान गिरवी उपहार समर्पण आदि किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई जिसमें अनावेदक स. 1 लगायत 3 व 5 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की ओर बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 की ओर से जवाब आवेदन पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न.1 मे प्रार्थीगण द्वारा दावा पेश करना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण को उक्त वाद मे कोई सफलता मिलने नही मिलेगी।
2. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 2 मे स्थित गत ख.न. 40 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा गत ख.न. 250 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा होना स्वीकार हैं शेष अस्वीकार है प्रार्थीगण का इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही हैं इसी वजह से प्रार्थीगण के नाम से कोई खातेदारी दर्ज नही है प्रार्थीगण ने स्वयं ने अपनी मौखिक सहमति से अपना हिस्सा चन्दगीराम व हरिसिंह को दे दिया था । तथा उसके पश्चात अप्रार्थी स. 12 से 16 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह व चन्दगीराम ने ख.न. 69 , 70 मे से अपना 1/2 हिस्सा का न्यायालय श्रीमानजी तहसीलदार बुहाना के समक्ष दिनांक 04.08.2004 को अप्रार्थी स.1 लगायत 5 की भूमी ख.न. 229 रकबा 1.84 हैक्टर ख.न. 279 रकबा 0.84 हैक्टर के साथ विनिमय करवा लिया था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को उसी समय से रही हैं तथा प्रार्थीगण खातेदार दर्ज नही होने की वजह से इनको विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर होना सम्भव नही था फिर भी प्रार्थीगण हिस्सा क्लेम करती हैं तो विनियम मे अप्रार्थी स.12 लगायत 16 को प्राप्त हुए ख.न. 229 व 279 मे से प्राप्त कर सकती हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 3 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार है वैध जांच करके व प्रार्थीगण की मौखिक सहमति के आधार पर ही चन्दगीराम व हरिसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुई थी तथा उसके पश्चात अप्रार्थी स. 12 लगायत 16 ने ख.न. 69 व 70 मे से अपना 1/2 हिस्से का विनियम अप्रार्थी स.1 लगायत 5 से दिनांक 04.08.2004 को कर दिया हैं तथा इस भूमि पर अप्रार्थी स.1 लगायत 5 का कब्जा कास्त हैं अप्रार्थी स.1 लगायत 5 ने विनियम के आधार पर अपने नाम से दर्ज भूमि का विभाजन करवा लिया हैं विभाजन के अनुसार अप्रार्थी स.1 लगायत 5 के हक मे ख.न. 69/1 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न. 70 रकबा 2.85 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.06 हैक्टर अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 के हक मे दर्ज हो [illegible] तथा ख.न. 62/2 रकबा 3.06 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स. 6 लगायत 1[illegible] के [illegible] मे दर्ज हो गई हैं विनियम की दिनांक से ही अप्रार्थी स.1 लगायत [illegible] का कब्जा कास्त चला आ रहा हैं प्रतिवादी स. 2, [illegible] 5 [illegible] व वोडोफोन का टावर लगाकर कम्पनी [illegible] हैं तथा अप्रार्थी स. 12 लगायत 16 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्से मे ख.न. 229 रकबा 1.84 हैक्टर ख.न. 279 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.68 हैक्टर भूमि उसी समय विनिमय के आधार पर दर्ज हो चुकी हैं तथा उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दिनांक 20.12.2004 से पूर्व मे किये गये हस्तानान्तरण विभाजन पर इस अधिनियम को कोई प्रभाव नही पड़ता हैं इसलिए प्रार्थीगण ख.न. 69 व 70 मे से कोई हिस्से लेने की अधिकारीणी नही हैं फिर भी प्रार्थीगण कोई हिस्सा क्लेम करती हैं तो अप्रार्थी स. 12 लगायत 16 को विनियम से प्राप्त हुई भूमि ख.न. 229 व 279 कुल रकबा 2.68 हैक्टर मे से अपना हिस्सा अप्रार्थी स. 12 से 16 से घोषित करवा सकती हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्डन. 4 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 12 से 16 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह व चन्दगीराम ने प्रार्थीगण की जानकारी मे उक्त भूमि का विनियम अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 के हक मे करवाया हैं अप्रार्थी स. 1 से 5 का गत ख.न. 40 जिसका हाल ख.न. 60 व 70 विनियम द्वारा उसके 1/2 हिस्से पर सटलमेन्ट से पूर्व से ही कब्जा कास्त रहा हैं जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को भी शुरू से रही है हरिसिंह व चन्दगीराम ने दिनांक 04.08.2004 को आपस मे विनियम कर लिया हैं उस समय प्रार्थीगण इस भूमी की खातेदार नही रही । लेकिन इसकी जानकारी इनको भी हैं तथा उक्त विनिमय राज. कास्त. अधिनियम की धारा 48 के अनुसार तहसीलदार महोदय बुहाना के निर्णय दिनांक 04.08.2004 के अनुसार हुआ हैं तथा उसी निर्णय से अप्रार्थी स. 1 से 5 इस भूमि ख.न. 69 व 70 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमी के खातेदार दर्ज हुए तथा कब्जा अप्रार्थी स. 1 से 5 शुरू से ही हैं उसके पश्चात अप्रार्थी स.1 से 5 ने अप्रार्थी स. 6 से 11 से अपना 1/2 हिस्सा का विभाजन भी करवा लिया हैं तथा आपसी खातेदारी भूमी ख.न. 69 व 70 मे वोडोफोन कम्पनी का टावार लगाकर कुछ हिस्सा लीज पर भी दे रखा हैं तथा मौके पर मोबाईल टावर स्थित हैं प्रार्थीगण को वर्तमान ख.न. 69 व 70 के हिस्से प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार नही हैं तथा जिन खातेदारो से अप्रार्थी स. 1 से 5 ने भूमी का विनियम किया उनका 1/2 हिस्सा इस भूमि था उसी 1/2 हिस्सा का विनियम अप्रार्थी स. 1 से 5 ने विनियम मे प्रापत हुआ तथा अपनी भूमि ख.न. 229 व 279 कुल रकबा 2.18 हैक्टर सम्पूर्ण को अप्रार्थी स. 12 से 16 के पिता हरिसिंह व चन्दगी को दिनांक 04.08.2004 को दिया हैं जिसका निर्णय तहसीलदार बुहाना द्वारा किया गया हैं तथा कानूनन भी सही हुआ हैं तथा वैसे भी उक्त विनिमय संसोधित उतराधिकार अधिनियम मे पूर्व मे ही हो चुका हैं तथा धारा 6 उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2004 से पूर्व मे किये गये सम्पति का व्ययन या अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण या विभाजन हो गया हैं तब उक्त अधिनियम के अनुसा उस पर यह अधिनियम प्रभाव नही डालेगा। इस प्रकार अप्रार्थी स.1 से 5 ने दिनांक 04.08.2004 को विधिवत् रूप से अप्रार्थी स. 12 से 16 के पिता हरिसिंह व चन्दगीराम से विनिमय करवा चुके हैं इसलिए प्रार्थीगण को इस भूमि ख.न. 69 व 70 मे से कोई हिस्सा नही मिल सकता हैं तथा प्रार्थीगण चाहे तो अप्रार्थी स. 12 से 16 को विनियम मे प्राप्त हुई भूमी ख.न. 229 व 279 कुल रकबा 2.68 हैक्टर मे से अपना हिस्सा घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करवा सकती हैं तथा उक्त भूमी की प्रवृति भी ख.न. 60 , 70 मे जैसे ही हैं उसमे प्रार्थीगण को वही अधिकार साबित होते हैं यदि अप्रार्थी स. 12 से 16 के पिता हरिसिंह व चन्दगीराम द्वारा विनियम नही करने पर प्राप्त होते विनिमय सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया मे हुआ हैं जिसको बिना निरस्त करवाये प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नही हैं विनिमय होने के पश्चात अप्रार्थी स.1 से 5 ने इस भूमी पर लाखो रू. खर्च करके इसको उपजाउ बनाया हैं इसमे टीन सेड का मकान भी हैं तथा इन्डुश टावर लिमिटेड से एग्रीमेन्ट करके वोडोफोन एयरटेल कम्पनी का टावर भी लगवाया हैं उसमे कम्पनी को अपनी भूमी लीज पर दे रखी हैं जिसकी समस्त जानकारी प्रार्थीगण को हैं तथा अप्रार्थी स.1 से 5 द्वारा अपनी भूमि पर इन्डुश टावर कम्पनी से एग्रीमेन्ट करने के पश्चात वोडोफेान एयरटेल कम्पनी ने टावर अपनी भूमि पर स्थापित करवाकर लीज पर दे रखी हैं तथा इस कम्पनी से किराया प्राप्त कर रहे हैं । इसलिए अप्रार्थी स.12 से 16 के मन मे बेईमानी आ गई हैं जिन्होने प्रार्थगण के जरिये उक्त वाद पत्र पेश करवाया हैं यदि प्रार्थीगण कोई हिस्सा लेना चाहती हैं तो अप्रार्थी स. 12 से 16 को विनिमय मे प्राप्त हुई भूमि ख.न. 229, 279 मे से प्राप्त कर सकती हैं इस भूमि की हैसियत भी ख.न. 69 व 70 के बराबर ही हैं तथा अप्रार्थी स.12 से 16 को बेचान से प्राप्त ना होकर विनिमय से प्रापत हुई हैं लेकिन प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नही चाहिए। व अप्रार्थी स. 12 से 16 के कहे अनुसार उक्त वाद पेश किया हैं ताकि अप्रार्थी की भूमि जिस पर उन्होने लाखो रू. लगाकर उपजाउ बनाया हैं तथा वोडोफेान कम्पनी को लीज पर देकर टावर स्थापित करवाकर किराया प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रार्थीगण के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 5 मे अप्रार्थी स.1 लगायत 5 के नाम से ख. न. 69 व 70 का 1/2 हिस्सा विनिमय के आधार पर दर्ज होने पर अप्रार्थी व. 6 से 11 के साथ अपने 1/2 हिस्सा का विभाजन करवाना स्वीकार हैं तथा विभाजन मे अप्रार्थी स. 1 से 5 के हिस्से मे ख.न. 69/1 व 70 आना भी स्वीकार हैं तथा वर्तमान मे अप्रार्थी स. 1 से 5 के ख.न. 69 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न. 70 रकबा 2.85 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.04 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी स.1 से 5 के नाम दर्ज होना भी स्वीकार हैं शेष अस्वीकार हैं अप्रार्थी स.1 से 5 ने अपना 1/2 हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन करवा कर उसको रहन रखा हैं जिसका उनको एकांकी अधिकार हैं प्रार्थीगण कभी भी इस भूमि की खातेदारी नही रखी हैं तथा ना ही उनका कोई हिस्सा हैं तथा अप्रार्थी स.1 से 5 ने उक्त भूमि दिनांक 04.08.2004 को ख.न. 229 व 279 से विनिमय करके प्राप्त की हैं जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही हैं प्रार्थीगण को भी इस विनिमय की शुरू से ही जानकारी हैं तथा उक्त विनिमय तहसीलदार बुहाना के आदेश व निर्णय के अनुसार इस भूमि ख.न. 69 व 70 भूमि की खातेदारी [illegible] से 5 के नाम से दर्ज हुई हैं तथा अप्रार्थी स. 1 से 5 के नाम से [illegible] ख.न. 229, 279 कुल रकबा 2.68 हैक्टर की भूमि अप्रार्थी स. 12 से 16 [illegible] पिता हरिसिंह व चन्दगीराम के नाम से दर्ज हो गई [illegible] 04.08.2004 को निरस्त करवाया बिना उक्त वाद [illegible] नही हैं तथा संशोधित उतराधिकार

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अधिनियम के धारा 6 के अनुसार 20.12.2004 से पूर्व मे किसी सम्पति के हस्तानान्तरण विभाजन व अन्य रूप से व्ययन होने पर उक्त विधि लागू नही होती हैं तथा प्रार्थीगण को इस भूमि ख.न. 69 व 70 मे कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणीनही हैं प्राथीगण चाहे तो विनिमय मे अप्रार्थी स. 12 से 16 के हिस्से मे दर्ज भूमि ख.न. 229 , 279 मे से अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं लेकिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स. 12 से 16 से सांझ करके उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 6 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं प्रार्थीगण इस भूमि की कभी भी खातेदारी नही रही हैं तथा ना ही उनका कब्जा रहा हैं तथा अप्रार्थी स.1 से 5 ने उक्त भूमि मे तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 04.08.2004 के अनुसार निर्णय से प्राप्त की हैं तथा उसके पश्चात विधिवत् रूप से विभाजन करवाया हैं व उस पर मोबाईल कम्पनी को मोबाईल टावर लगाकर लीज पर दिया हैं । उक्त विनिमय संशोधित उतराधिकार अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व मे हैं । अप्रार्थी स. 1 से 5 के नाम से दर्ज हो चुकी हैं उसके पश्चात अप्रार्थी स.1 से 5 ने लाखो रूपये खर्च करके उपजाउ बनाया हैं टीन सैड का मकान बनाया हैं तथा टावर लगाया हैं तथा दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किसी भूमि का हस्तानान्तरण होने पर उक्त अधिनियम से वह प्रभावित नह हैं प्रार्थीगण विनिमय मे अप्रार्थी स. 12 से 16 को प्राप्त भूमि ख.न. 229, 279 मे से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं लेकिन वो ऐसा नही कर रही हैं क्योकि इनको हिस्सा नही लेना हैं मात्र अप्रार्थी स 12 से 16 से मिलकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो चलने योग्य नही हैं तथा अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही मिलते हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 7 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हिस्सा इस भूमि ख.न. 69 व 70 मे नह हैं ना ही वह कभी खातेदार दर्ज रही हैं तथा ना ही उनका कोई कब्जा कास्त रहा हैं व ना ही वर्तमान मे हैं तथा अप्रार्थी स.1 से 5 इस भूमि को एंकाकी खातेदार कास्तकार हैं तथा उन्ही का कब्जा कास्त हैं तथा अप्रार्थ स. 1 से 5 ने मोबाईल कम्पनी से इस भूमि पर टावर भी लगवाकर लीज पर दिया हैं तथा अप्रार्थी स. 1 से 5 का उक्त भूमि तहसीलदार बुहाना के अनुसार व निर्णय से दिनांक 04.08.2004 को प्रापत हुई हैं तथा प्रार्थीगण ख.न. 229 , 279, 341 मे हिस्सा प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र हैं इस प्रकार से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति नही हो रही हैं । तथा विधुत कनेक्शन भी अन्डुश कम्पनी के नाम से हैं।

8. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 8 अस्वीकार हैं आवेदक का ना तो मौके पर कोई कब्जा है और ना ही उनका ख.न. 69 व 70 मे कोई हिस्सा दर्ज हैं इस प्रकार आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही हैं तथा ना ही सुवधि का संतुलन उनके पक्ष मे हैं।

9. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. [illegible] री के अभाव मे अस्वीकार हैं।

10. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड न. 10 [illegible] के अभाव मे अस्वीकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 284 / 2022
चिड़िया आदि बनाम उदमीराम आदि
निर्णय दिनांक 1.1.12.22

दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तोवजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं मौखिक बहस सुनी गई जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण / आवेदकगण को बनना पाया जाता हैं।

– :: आदेश ::–

न्यायालय प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अनावेदक सं. 1 लगायत 5 एवं अनावेदक सं. 12 लगायत 16 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि दौराने दावा वाके ग्राम मैनाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 69 ख.न. 70 किता 2 रकबा 3.04 है. में आवेदिकागण के 4/6 हिस्सा के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे इस भूमि को दान रहन बेचान गिरवी समर्पण या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित नही करे इसमें कच्चा या पक्का निर्माण नही करे हरे पेड़ो का नही कांटे ऐसा कार्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे आवेदिकागण के हक अधिकार प्रभावित होते हो तथा अनावेदक सं. 18 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह अनावेदक सं. 1 लगायत 5 व 12 लगायत 16 द्वारा प्रस्तुत दान रहन बेचान गिरवी उपहार समर्पण आदि किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 1.1.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested